निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SE-106/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ब्रज भूषण मणि एवं श्री प्रवीण कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.11.2017 से 25.11.2017 तक श्री नवीन शंखधर लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1) परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.02.2017 से 27.02.2017 तक श्री पी0के0 गुप्ता लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2016 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 04/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** –नैनीताल जनपद

3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व ¼: **yk[k esa½**
2014-15	189.19
2015-16	217.11
2016-17	237.46

(ii)(c) बजट का विवरण:-विगत दो वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	-	-	-	-	123.78	123.66	-	0.12
2015-16	-	-	-	-	195.92	189.52	-	6.40
2016-17	-	-	-	-	252.08	209.9	-	42.18

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
एसी कोई योजना नहीं है।					

(iii) इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई --ए---श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव> अपर/ संयुक्त सचिव/आबकारी आयुक्त > संयुक्त आबकारी आयुक्त> वित्त नियंत्रक > उप आबकारी आयुक्त > सहायक आबकारी आयुक्त

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्वः माह 03/2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्ययः माह 03/2017को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (क)

प्रस्तर 01 : - अनुज्ञापियों द्वारा निश्चित समयाअवधि में आवश्यक दस्तावेज जमा न किए जाने के बावजूद समग्र राजस्व नियमानुसार जब्त न किया जाना `1291.30 लाख।

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग सं0118/XX111/2016/04(01) 2016 देहरादून दिनांक 25 फरवरी 2016 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु नियम 18(3) में यह प्रावधान किया गया है कि दुकान आवंटित होने के 20 दिन के अन्दर यदि अनुज्ञापी हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करता है तो इस दशा में अनुज्ञापी को आवंटित देशी/विदेशी मदिरा दुकान का आवंटन अनुज्ञापी के जोखिम The Uttrakhand Excise (Settlement of lincess for retail sale country/foregn/Beer Rule 2001 से स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा अनुज्ञापी द्वारा जमा किये समस्त राजस्व को सरकार के पत्र में जब्त कर दिया जायेगा।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी नैनीताल के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 में संलग्न सूची के 22 विदेशी मदिरा एवं 21 देशी दुकान तथा 01 वियर की दुकान के अनुज्ञापियों द्वारा आवश्यक सभी/पूर्ण अभिलेखों अभिलेख आबकारी नीति के नियम-18 के अनुसार निश्चित समयाअवधि (दिनांक 09.04.2016) में प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

अतः संलग्न सूची के विवरण अनुसार 22 विदेशी मदिरा एवं 1 वियर दुकान के कुल राजस्व `77513802/- तथा देशी मदिरा के कुकान के राजस्व `5,16,16,781/- अर्थात दिनांक 09.04.2016 तक संलग्न सूची के सभी दुकान के द्वारा प्राप्त राजस्व `12,91,30,583/- सरकार के पत्र में जब्त किया

जाना चाहिए था। लेकिन जिला आबकारी अधिकारी द्वारा उपरोक्त सभी दुकान के अनुज्ञापी पर केवल 5000/– का जुर्मना आरोपित किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इससे किसी भी प्रकार की राजस्व क्षति नहीं हुई है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लाइसेंस निरस्त न किये जाने के सम्बंध में शासन से कोई आवेदन निर्गत नहीं किया गया था। अतः विभाग को अनुज्ञापियों का लाइसेंस निरस्त करते हुए जमा समस्त राजस्व सरकार के पक्ष में जब्त किया जाना चाहिए था।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया गया।

भाग-2 (क)

प्रस्तर 02 : - आवेदन पत्र शुल्क के बिक्री पर VAT न लिये जाने से राजस्व क्षति `236.94 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा-2 के अनुसार " व्यौहारी (Dealer) " से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपने कारोबार के प्रयोजन के लिए या उसके सम्बन्ध में अथवा उससे प्रासंगिक अथवा उसके अनुक्रम में उत्तराखण्ड में (चाहें लाभ के उद्देश्य से या अन्यथा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से,

नियमित रूप से या अन्यथा) नकद या आस्थगित भुगतान या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल का क्रय, विक्रय, संभरण या वितरण करने का कारोबार करता है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैः

(क)- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग अथवा पंचायत, नगरपालिका, विकास प्राधिकरण, छावनी परिषद नाम धारक स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई स्वायत्तशासी या कानूनी निकाय;

विक्रय कीमत से मूल्यावान प्रतिफल की वह धरनाशि अभिप्रेत है जो व्यौहारी द्वारा किसी माल के विक्रय के लिए प्राप्त की गयी है या प्रयाप्त है और इसके अन्तर्गत व्यौहारी द्वारा परिदान के समय या इसके पूर्व उस माल के सम्बन्ध में किसी कार्य के निमित्त प्रभारित कोई धनराशि या इसके पूर्व उस माल के सम्बन्ध में किसी कार्य के निर्मात प्रभारित कोई धनराशि, उत्पादन शुल्क, विशेष उत्पादन शुल्क या कोई अन्य शुल्क या कर भी होगा।

(50)- विक्रय आवर्त (Turn over of sales) से वह कुल धनराशि अभिप्रेत है, जिसके लिए किसी व्यौहारी द्वारा या तो स्वंय या दूसरे के द्वारा, अपने लेखे में या दूसरों के लेखे में, नकद या अस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल का विक्रय, संभरण या वितरण किया जाए।

पुनः धारा 3(7) (IV) के अनुसार कराधेय मात्रा किसी अन्य कारोबार में लगे हुए व्यौहारियों के मामले में `5.00 लाख है एवं धारा 4(2) (ख) (1) (ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल के सम्बन्ध में कर की दर 13.5 प्रतिशत है।

उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना सं-118/XXIII/2016/04(01) 2016 देहरादून दिनांक 25-02-2016 के बिन्दु 5 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में विदेशी मदिरा दुकान हेतु `22000/- एवं देशी मदिरा दुकान हेतु `18000/- आवेदन पत्र शुल्क निर्धारित था, जो कि नान-रिफेण्डेबल था।

जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल के वर्ष 2016-17 की व्यवस्थापन पत्रावली की जाँच में विदेशी व देशी मदिरा की दुकानों की लाटरी हेतु विक्रय किये गये आवेदन पत्रों की संख्या एवं प्राप्त राजस्व का विवरण निम्नवत पाया गया-

वर्ष	प्राप्त/विक्रय आवेदन पत्रों की संख्या		प्राप्त धनराशि (`लाख में)		कुल धनराशि (`लाख में)
2016-17	विदेशी	देशी	विदेशी	देशी	1755.14
	7091	1084	1560.02	195.12	

उक्तानुसार वर्ष 2016-17 में आवेदन पत्रों के विक्रय से कुल `1755.14 लाख धनराशि लेखाशीर्ष 0039 राज्य उत्पादन शुल्क, 800 अन्य प्राप्तियां 05 आवेदन शुल्क (अन्य मद) में जमा किया गया था। धारा – 3(7) (IV) के अनुसार कराधेय मात्रा `5.00 लाख से अधिक थी। नियमानुसार आवेदन पत्रों की बिक्री से प्राप्त धनराशि `1755.14 लाख पर आवेदनकर्ताओं से 13.5 प्रतिशत की दर से `23694390.00 कर आरोपित कर राजकोष में जमा किया जाना था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि जमा कराये जाने हेतु कोई निर्देश में VAT को जमा कराये जाने हेतु कोई निर्देश नहीं था।

इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड शासन, औघोगिक विकास विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं.-1033/VII-1/2015/146 ख/2010 देहरादून दिनांक- 31 जुलाई 2015 द्वारा उपखनिज के चुमान/निकासी कार्य का आवंटन लाटरी प्रक्रिया के आधार पर ही किये जाने के निर्देश थें तथा निविदित क्षेत्र हेतु बिना वापसी का लाटरी शुल्क/लाटरी प्रपत्र मूल्य `50000.00+135 प्रतिशत वैट अर्थात `6750.00 जमा कराये जाने के निर्देश दिनांक फरवरी 27,2016 में भी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन में लाटरी प्रक्रिया शब्द का प्रयोग किया गया है। दोनो विभागों की लाटरी प्रक्रिया सामान्य होने पर आबकारी विभाग की लाटरी प्रक्रिया में भी 13.5 प्रतिशत वैट `236.94 लाख आवेदनकर्ताओं से वसूल किया जाना था, जो वसूल नहीं किया जा सका।

अतः `236.94 लाख की राजस्व हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ख)

प्रस्तर 01 : - स्टांप शुल्क कम लिये जाने से राजस्व हानि `2.67 लाख।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुसूची-1 बी के अनुच्छेद 12-ए के अनुसार प्रतिभूति हेतु बैंक गारंटी दिये जाने की स्थिति में प्रतिरूपये धनराशि का `5 प्रतिहजार स्टाम्प शुल्क लिये जाने के प्रावधान है जो अधिकतम `10,000 तक है।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि विदेशी तथा देशी मदिरा अनुज्ञापियों द्वारा द्वतीय प्रतिभूति की धनराशि नगद जमा न करके बैंक गारन्टी के रूप में दी गयी थी। संलग्न सूची के विवरण के अनुसार विदेशी मदिरा के 21 अनुज्ञापियों तथा देशी मदिरा के 13 अनुज्ञापियों से नियमानुसार 0.5 प्रतिशत या अधिकतम `10,000 तक स्टाम्प शुल्क लिया जाना चाहिए ता। लेकिन संलग्न सूची के विवरण के अनुसार विदेशी तथा देशी अनुज्ञापियों से कुल `2,67,160/- का स्टाम्प शुल्क कम लिया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि अनुपालन कराया जायेगा।

प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया गया।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
SE-53/2004-05	01	01
SE-18/2012-13	02	03
SE-44/2015-16	-	02-
SE-76/2016-17	-	02

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : लागू नहीं

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

व्यय से संबन्धित: - लागू नहीं

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य**
(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य – टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   शून्य टिप्पणी

2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री अशोक मिश्रा	जिला आबकारी अधिकारी
(ii)	श्री दुर्गेश्वर कुमार त्रिपाठी	जिला आबकारी अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र